भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2744
(दिनांक 14.12.2021 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारिता संबंधी आचरण मानदंड

2744. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने न्यायालयाधीन मामलों में मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा किए जा रहे समानांतर मीडिया ट्रायल पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मीडिया ट्रायल को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच शुरू करने के बाद मीडिया को ऐसे ट्रायल से रोकने के लिए नए नियम लाने पर विचार करेगी;

(घ) क्या जांच/अन्वेषण के तहत मामलों के मीडिया कवरेज के संबंध में कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने 'पत्रकारिता संबंधी आचरण मानदंड' तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से मीडिया द्वारा ट्रायल पर दिशा-निर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन अपेक्षित है।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2020 के आईए सं. 95156, 2020 की पीआईएल (एसटी) सं. 1774, 2020 की सिविल पीआईएल-सीजे-एलडी-वीसी सं. 40, 2020 की पीआईएल (एल) सं. 3145 और 2020 की आपराधिक पीआईएल (51) सं. 2339 के साथ 2020 की पीआईएल (एसटी) सं. 92252 के मामले में 18.01.2021 के आदेश द्वारा जांच/अन्वेषण के तहत मामलों के मीडिया कवरेज के संबंध में निदेश जारी किए हैं जिन्हें प्रसारकों को सूचित कर दिया गया है।

(ङ): भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड' तैयार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट रूप से 'मीडिया द्वारा ट्रायल' संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं।

परिषद ने अन्वेषण के तहत मामलों को कवर करने में पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करने हेतु 28.08.2020 को मीडिया एडवाइजरी भी जारी की है। पीसीआई द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 18.01.2021 के आदेश के संदर्भ में भी 29.01.2021 को एडवायजरी जारी की गई थी।

*****